भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4393
19 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

एकीकृत मछली विपणन अवसंरचना

†4393. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल में एकीकृत मछली विपणन अवसंरचना, शीत श्रृंखला नेटवर्क और मछली पकड़ने के जाल संबंधी विनिर्माण इकाइयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ख) मंत्रालय की सुसंगत योजनाओं के अंतर्गत चल रही और संस्वीकृत परियोजनाओं, जारी की गई निधि और हासिल की गई प्रगति की स्थिति क्या है; और
(ग) प्रोत्साहन, प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण, रेडी-टू-कुक/ईट उत्पादों को बढ़ावा देना, बाजार से संपर्क और राज्य को प्रदान किया गया कोई विशेष पैकेज या सहायता सहित केरल से मछली और मत्स्य उत्पादों के मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण सुविधाओं और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): मत्स्य विभाग , मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केरल में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/पहल जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ), और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है, साथ ही मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार भी कर रहा है।

इन योजनाओं में मछली उत्पादन बढ़ाने, अवसंरचना को मजबूत करने, शीत श्रृंखला सुविधाओं को बेहतर बनाने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने, स्थिरता बनाए रखने, संस्थागत ऋण प्रणालियों को मजबूत करने, आजीविका को मजबूत करने और रोजगार सृजन आदि की दिशा में हस्तक्षेप करने की परिकल्पना की गई है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप केरल में मछली उत्पादन वर्ष 2019-20 में 6.80 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 के दौरान 9.27 लाख टन हो गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत केरल के लिए कुल ₹1418.51 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत कार्यकलापों में अवसंरचना और शीत श्रृंखला सुविधाएं, जैसे प्रमुख मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों का विस्तार और आधुनिकीकरण, प्रमुख बंदरगाहों पर रखरखाव ड्रेजिंग, एकीकृत आधुनिक तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों का विकास, जलवायु-लचीले गांवों का विकास, कृत्रिम प्रवाल भित्ति इकाइयों की स्थापना, हिम संयंत्र/शीत भंडारण जैसी शीत श्रृंखला सुविधाएं, अत्याधुनिक थोक मछली बाजार, जीवित मछली बिक्री केंद्र, खुदरा बाजार, मछली के कियोस्क, मूल्यवर्धित उद्यम और परिवहन वाहन, शामिल हैं ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से मछली प्रसंस्करण इकाइयों सहित खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं किसी क्षेत्र या राज्य विशेष तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मांग-आधारित हैं और केरल के सभी जिलों सहित पूरे देश में लागू की जाती हैं।

दिनांक 31.12.2025 तक, केरल राज्य में एमओएफपीआई ने पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत 30.65 करोड़ रुपये की स्वीकृत अनुदान सहायता के साथ 5 मछली/समुद्री प्रसंस्करण परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 1.68 करोड़ रुपये की स्वीकृत सब्सिडी के साथ 69 मछली/समुद्री प्रसंस्करण सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को स्वीकृति दी गई है।
